पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-673/2016

थाना कांड संख्या -37 वर्ष-2005 थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर से उत्पन्न

==========

1. नंद किशोर राय

2. सुबोध राय

3. रणजीत राय,

सभी पुत्र-स्वर्गीय राम उचित राय, निवासी-गाँव- केशोनारायणपुर, थाना-ताजपुर (हलई), जिला समस्तीपुर

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरवादीगण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थीओं के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
	:	सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
	:	श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री अजय मिश्रा, अपर लोक अभियोजक (एपीपी)
सूचनादाता के लिए	:	श्री सूरज नारायण यादव, अधिवक्ता
		श्री बिजय भूषण, अधिवक्ता
		श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता
		श्री मनसून आलम, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

*• भारतीय दंड संहिता की धाराएं **34, 148, 302,** धारा **304** भाग II और **379***

*• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **32***

संदर्भित मामले:

*• कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य, **(2000) 5** एससीसी **207** में रिपोर्ट किया गया*

*• मंजूनाथ और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, **2023** एससीसी ऑनलाइन **1421** में रिपोर्ट किया गया*

*• परमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, **(1997) 4** एससीसी **156** में रिपोर्ट किया गया*

*• सौरव शर्मा और अन्य। बनाम बिहार राज्य (पटना उच्च न्यायालय आपराधिक अपील (डीबी) संख्या **1271/2017)***

*• उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2022) 8** एससीसी **576** में रिपोर्ट किया गया*

*• खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर **1958** एससी **22** में रिपोर्ट किया गया*

*• गोविंद नारायण बनाम राजस्थान राज्य, **1993** सप **(3)** एससीसी **343** में रिपोर्ट किया गया*

*• सुधाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2000) 6** एससीसी **671** में रिपोर्ट किया गया*

*• डेनी बोरा बनाम असम राज्य, **(2014) 14** एससीसी **42** में रिपोर्ट किया गया*

*• ईश्वर सिंह बनाम यूपी राज्य, **(1976) 4** एससीसी **355** में रिपोर्ट किया गया*

• मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य, (1999) 9 में रिपोर्ट किया गया एससीसी 209

• मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमजान खान एवं अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3070 में रिपोर्ट किया गया

• श्री भगवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 12 एससीसी 137 में रिपोर्ट किया गया

• रामजी सिंह बनाम बिहार राज्य, (2001) 9 एससीसी 528 में रिपोर्ट किया गया

• बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एससीसी 283 में रिपोर्ट किया गया

• जय करण बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी), (1999) 8 एससीसी 161 में रिपोर्ट किया गया

• ज्ञान चंद एवं अन्य। बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 14 एससीसी 420 में रिपोर्ट किया गया

• लक्ष्मीबाई बनाम भगवंतबुवा, (2013) 4 एससीसी 97 में रिपोर्ट किया गया

• पन्नीरसेल्वम बनाम टी.एन. राज्य, (2008) 17 एससीसी 190 में रिपोर्ट किया गया

• अतबीर बनाम सरकार (एनसीटी दिल्ली), (2010) 9 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया

• राजेंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 941 में रिपोर्ट किया गया

• अप्पाभाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, 1988 में रिपोर्ट किया गया Supp SCC 241

• कैमिलोवेज़ बनाम गोवा राज्य, (2000) 9SCC1 में रिपोर्ट किया गया

• रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 8 में रिपोर्ट किया गया

• SCC 289

• अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 6 SCC 770 में रिपोर्ट किया गया

• चेंदा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2013) 12 SCC 110 में रिपोर्ट किया गया

• सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2017) 5 SCC 796 में रिपोर्ट किया गया

• अनबाझगन बनाम राज्य, 2023 में रिपोर्ट किया गया SCC ऑनलाइन SC 857

• वेलथेपु श्रीनिवास बनाम तेलंगाना राज्य, 2024 में रिपोर्ट किया गया एससीसी ऑनलाइन एससी 107

अपील- उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 379 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया।

निर्णय- यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय, संतोषजनक और विश्वास योग्य पाए जाते हैं, तो केवल किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल न किए जाने मात्र से अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने का कोई कारण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और संतोषजनक हैं। अन्य स्वतंत्र गवाहों की संख्या अधिक होती, तो भी निर्णय में कोई भिन्नता नहीं आती। (पैरा 31)

मृतक के शरीर पर एक को छोड़कर अन्य सभी चोटें गैर-घातक अंगों पर पाई गईं, और इसके अलावा, लाठी से कोई गंभीर या भेदक चोट नहीं पहुंचाई गई, न ही अपीलकर्ता ने, जो पिस्तौल से सशस्त्र था, कोई गोली चलाई। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा

सकता कि अपीलकर्ताओं का उद्देश्य मृतक की हत्या करना था या ऐसी चोट पहुंचाना था जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु का कारण बन सके। तथापि, यह तथ्य बना रहता है कि अपीलकर्ताओं और दो अन्य व्यक्तियों ने मृतक पर गंभीर हमला किया था। अतः, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों ने जानबूझकर ऐसा कार्य किया, जिससे मृत्यु होने की संभावना थी, लेकिन उनकी मृत्यु कारित करने की कोई प्रत्यक्ष मंशा नहीं थी। इसके अलावा, मृत्यु का कारण प्रत्यक्ष होना चाहिए, न कि किसी दूरगामी परिणाम के रूप में। वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग II के अंतर्गत आएगा। (पैरा 32)

आईपीसी की धारा 379 के तहत चोरी के अपराध का अपीलकर्ताओं पर आरोप सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है। अतः, ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 379 के अंतर्गत दोषसिद्धि का निर्णय निरस्त किया जाता है। (पैरा 33)

*अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। **(पैरा 35)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

संयुक्त निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

तारीखः 12.02.2025

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "द. प्र. स." के रूप में संदर्भित) की धारा 389 (1) के साथ पठित धारा 374 (2) के तहत 2008 के सत्र परीक्षण संख्या 66/2008 (ताजपुर (हलई ओ. पी.) थाना कांड संख्या -37/2005 से उत्पन्न) के दोषसिद्धि के फैसले और में विद्वत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-2, समस्तीपुर (इसके बाद "विद्वत विचारण न्यायाधीश" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित सजा के निर्णय और आदेश क्रमशः 06.06.2016 और 08.06.2016 के खिलाफ दायर की गई है। उक्त निर्णय द्वारा, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता (इसके बाद "भा. द. स." के रूप में संदर्भित) की धाराओं के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें भा. द. स. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50000/- रु अर्थदंड की सजा सुनाई है और अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर उन्हें अलग से छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा का निर्देश दिया गया है। सभी अपीलार्थियों को आगे भा. द. स. की धारा 379 के तहत तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.02.2005 को लगभग 14:30 बजे मृतक-सूचक का *फर्दबयान* समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पुलिस उपनिरीक्षक, नगर थाना द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा है कि दिनांक 09.02.2005 को लगभग 9:00 बजे जब वह अपने घर से समस्तीपुर न्यायालय जा रहा था, तो उसने अपने पुत्र संजय को साथ चलने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह कुछ देर बाद आएगा, वह 15-20 मिनट बाद अपने नए हरे रंग की साइकिल पर टाइटल सूट के कागजात और 1500/- रु की राशि लेकर घर से निकल गया। और जब वह लगभग एक किलोमीटर की यात्रा करके तालाब के पास पहुंचा, तो आरोपीगण अर्थात् अर्जुन राय, सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2), नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1), संजीत राय और रंजीत राय (अपीलकर्ता संख्या 3), जो *लाठी* और *खंती* से लैस होकर पहले से ही वहां मौजूद थे, मृतक-सूचनाकर्ता को घेर लिया, जिसके बाद अर्जुन राय ने अन्य आरोपियों को मृतक-सूचनाकर्ता को पीटने और उसे मारने के लिए उकसाया, जिसके बाद अर्जुन राय ने मृतक-सूचनाकर्ता को मारने के इरादे से *खंती* से हमला किया, हालांकि, उसने अपने दाहिने हाथ से रोका, जिसके परिणामस्वरूप उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद, अर्जुन राय ने मृतक-सूचनाकर्ता के पेट पर *खंती* से

हमला किया और उसे पेट में भोकने की कोशिश की, हालांकि, मृतक-सूचनाकर्ता ने अपने दाहिने हाथ से रोका, जिसके परिणामस्वरूप उसकी कोहनी फ्रैक्चर हो गई। मृतक-सूचनाकर्ता गिर गया था, जिसके बाद सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2) ने *खंती* से लैस होकर मृतक-सूचनाकर्ता के दाहिने पैर के घुटने पर वार किया, जिससे वहां से खून बहने लगा। फिर रंजीत राय (अपीलकर्ता संख्या 3) और संजीत राय ने मृतक-सूचनाकर्ता को जान से मारने की नीयत से उस पर बार-बार *लाठी* से वार किया, जिससे दाहिने पैर के नीचे का हिस्सा टूट गया। फिर नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1) मृतक-सूचनाकर्ता की छाती पर बैठ गया और पिस्तौल के बट से मृतक-सूचनाकर्ता की छाती पर वार किया और उसकी गर्दन भी दबा दी। मृतक-सूचनाकर्ता ने शोर मचाया, जिसके परिणामस्वरूप उनके पुत्र संजय कुमार शर्मा (पी.डब्लू.4) और सह-ग्रामीण पांडव सिंह और राम सिंह वहां पहुंचे, जिसके बाद अर्जुन राय ने मृतक-सूचनाकर्ता की साइकिल से केस फाइल निकाल ली और नंद किशोर राय (अपीलार्थी संख्या 1) ने मृतक-सूचनाकर्ता की जेब से 1500/- रुपये निकाल लिए और फिर सभी आरोपी भाग गए। मृतक-सूचनाकर्ता ने आगे कहा है कि तब उसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में वह बेहोश हो गया, हालांकि बाद में उसे अस्पताल में होश आया, वहां उसने अपना बयान दिया। बयान मृतक-सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाया गया और उसे सही पाए जाने के बाद मृतक-सूचनाकर्ता ने *फर्दबयान* पर अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाया, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी और वह हस्ताक्षर करने में असमर्थ था।

3. *फर्दबयान* की रिकॉर्डिंग के बाद, उपरोक्त अपीलार्थियों और दो अन्य, अर्थात अर्जुन राय और संजीत राय के खिलाफ दिनांक 11.02.2005 को करीब 13:00 बजे ताजपुर (हलई ओ. पी.) थाने में भा. द. स. की धारा-148/307/379 के तहत एक औपचारिक प्राथमिकी, थाना कांड संख्या-37/2005 दर्ज की गई। इसके बाद, सूचनादाता की मृत्यु के कारण, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2005 के आदेश के माध्यम से आई. पी. सी -302 जोड़ा गया था। अन्वेषण के बाद और अपीलार्थियों और दो अन्य लोगों के मामले को सही पाए जाने के बाद, पुलिस ने भा. द. सं. की धारा 148/302/379/34 के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ 31.12.2005 को आरोप पत्र समर्पित किया। विद्वत विचारण न्यायालय ने 20.05.2005 के आदेश के तहत भा. द. सं. की धारा 147/148/302 और 379/34 के तहत अपराधों का संज्ञान

लिया था। इसके बाद, मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया और सत्र परीक्षण संख्या-66/2008 के रूप में दर्ज किया गया। आरोप पत्र और अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने जिन अपीलार्थियों के खिलाफ भा. द. सं. की धारा 302/34,379 और 148 के तहत आरोप तय किए, उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवचन किया और विचरण का दावा किया।

4. विचरण के दौरान अभियोजन पक्ष के छह गवाहों यानी पी. डब्ल्यू. 1 हिमांशु शेखर (मृतक-सुचनादाता का भतीजा), पी. डब्ल्यू. 2.प्रभात रंजन (मृतक-सुचनादाता का बेटा), पी. डब्ल्यू. 3 राम कुमार सिंह, पी. डब्ल्यू. 4 संजय कुमार शर्मा (मृतक-सुचनादाता का बेटा), पी. डब्ल्यू. 5, सुबोध कुमार सिंह (अन्वेषण अधिकारी) और पी. डब्ल्यू. 6 डॉ. पुरुषोत्तम कुमार (डॉक्टर जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया था) का परीक्षण किया गया।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने निवेदन किया है कि वह व्यक्ति, जिसने *फर्दबयान* दर्ज किया है उसका परिक्षण नहीं किया गया है और फर्द्बयान भी साबित नहीं हुआ है, इसलिए यह कहा जाता है कि मृतक-सुचनादाता का कोई फर्द्बयान कभी दर्ज नहीं किया गया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य*** (एस. सी. सी.-2000(5)-207 मे सुचित) के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है। और यह कहा गया है कि मृतक के बयान को एक ठोस साक्ष्य बनाने के लिए उस व्यक्ति या एजेंसी पर भरोसा करना विधिक दायित्व के तहत है कि वह इस तरह के बयान को एक तथ्य के रूप में साबित करे, इस प्रकार यदि यह लिखित रूप में है, तो लेखक को न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए और यदि यह मौखिक है, तो इसे उस व्यक्ति की जांच करके साबित किया जाना चाहिए जिसने मृतक को बयान देते हुए सुना था। वर्तमान वाद में, जिस लेखक ने मृतक का बयान अपने लिखित में दर्ज किया है, उसकी जांच नहीं की गई है, इसलिए मृतक-सुचनादाता के बयान को सबूत का एक ठोस भाग नहीं कहा जा सकता है, इसलिए, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इलाज करने वाले डॉक्टरों की जांच नहीं की गई है, जिससे अपीलार्थियों के लिए घोर पूर्वाग्रह पैदा होता है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने लगातार बयान दिया है कि मृतक-सूचनादाता बीच-बीच में होश में और बेहोश हो रहा था, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में मृतक-सूचनादाता जो गंभीर था, एक विस्तृत

बयान नहीं दे सकता था जैसा *फर्दबयान* दिया है। के माध्यम से 09.02.2005 को दर्ज किया गया है और इसके अलावा, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है कि मृतक-सूचनादाता बयान देने के लिए मानसिक स्थिति में था।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सभी स्वतंत्र गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया है, जिनके बयान पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे। यह भी तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामला भा. द. सं. की धारा 302 के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि भले ही आरोपी व्यक्ति आग्नेयास्त्र और *खंती* से लैस थे, लेकिन मृतक के शरीर पर न तो आग्नेयास्त्र से चोट लगी है और न ही *खंती* से लगी चोट मिली है और एक को छोड़कर लगभग सभी चोटें शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर हैं और अधिकांश चोटें घाव, चोट और घर्षण भी हैं, इस प्रकार अपीलकर्ताओं का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था और न ही उन्हें अनुमान था कि मृतक-सुचनादाता पर हमला करने के तरीके से मृतक की मौत हो जाएगी। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि अभियुक्तों की संख्या केवल पाँच थी, लेकिन वर्तमान मामले में दिए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि 20-30 व्यक्ति घटना स्थल पर पहुंचे थे, फिर भी अपीलार्थियों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। वास्तव में, घटना स्थल और साक्ष्य से कोई आपत्तिजनक वस्तु/सामग्री नहीं मिली है, गवाह विरोधाभासों से भरे होते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करना उचित नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी की पुष्टि करने वाले गवाह, अर्थात् राम कुमार सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह कभी अस्पताल नहीं गया था, इस प्रकार यह आश्चर्य की बात है कि उसने *फर्दबयान* पर अपने हस्ताक्षर कैसे किए थे, इस प्रकार प्रारंभिक संस्करण को पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, क्योंकि मृतक के बेटे, अर्थात् संजय कुमार शर्मा ने कहा है कि उसने हलई में अपना बयान दिया था, लेकिन उसे याद नहीं है कि उसने आरोपी व्यक्तियों का नाम लिया था या नहीं। यह कहा गया है कि वर्तमान मामला भी भा. द. सं. की धारा 304 भाग II के दायरे में नहीं आएगा।

7. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता के मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया जा रहा हैः

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***मंजूनाथ और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य वाद*** (एस.सी.सी-2023.-ऑनलाइन-1421 में सुचित किया गया) में दिया गया

निर्णय। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत्युकालिक कथन लिखने वाले व्यक्ति की जांच आवश्यक है और यदि लेखक, असमर्थता या मृत्यु जैसे नियंत्रण से परे कारणों से उपलब्ध नहीं है, तो अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक सहायता लेने के लिए खुला होगा। लेखक मामले को संदिग्ध बना देगा और अभियोजन पक्ष के मामले को एक घातक झटका देगा।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***परमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य*** (एस.सी.सी-1997(4)-156 में सुचित)वाद में दिया गया निर्णय। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे गवाह की गवाही को स्वीकार करना पूरी तरह से असुरक्षित होगा, जिसे गंभीर चोटें आई थीं और जो मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के बाद अर्ध-अचेतन हो गया था और यदि मृत्युकालिक कथन में सबसे सूक्ष्म विवरण भी शामिल हैं और विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, तो इसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

(iii) माननीय पटना उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ द्वारा दिनांक 13.08.2024 का निर्णय, ***सौरभ शर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य (आपराधिक अपील (डीबी) संख्या-1271/2017)*** उक्त वाद में, माननीय पटना उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, साक्ष्य के रूप में मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता के संबंध में व्यापक सिद्धांतों का सारांश दिया है, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः.

> *"(1) प्रत्येक मृत्युकालिक कथन की अपने गुण-दोष के आधार पर जांच की जानी चाहिए। न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि किस कथन पर भरोसा कर के मामले को आगे बढ़ाने का आदेश किया जा सकता है इस तरह की घोषणा करने वाले व्यक्ति की चिकित्सा योग्यता, प्रासंगिक समय पर, अन्य कारकों जैसे रिश्तेदारों द्वारा शिक्षण की संभावना आदि के साथ महत्वपूर्ण है।;*
>
> *(2) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और विश्वसनीय है, तो वह बिना पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है।;*
>
> *(3) न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कथन शिक्षण, उकसाने या कल्पना का परिणाम नहीं है और कथनकर्ता घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था।;*

(4) जहाँ मृतक बेहोश था और कभी भी मृत्युकालिक कथन की घोषणा नहीं कर सकता था, वहाँ इसके संबंध में साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।;

(5) जहां अभियोजन पक्ष का संस्करण मृत्युकालिक कथन में दिए गए संस्करण से अलग है, वहां उक्त कथन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।;

(6) न्यायालय, यह संतुष्ट करने के लिए कि क्या मृतक,मृत्युकालिक कथन करने के लिए एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, चिकित्सा राय को देखें, लेकिन जहां चश्मदीद गवाहों का कहना है कि मृतक घोषणा करने के लिए एक स्वस्थ और सचेत स्थिति में था, चिकित्सा राय प्रबल नहीं होगी।

(7) मजिस्ट्रेट को एक निःस्वार्थ गवाह और एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते और इस बात पर संदेह करने के लिए कोई परिस्थिति या सामग्री मौजुद नहीं है कि मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ कोई दुश्मनी थी या किसी भी तरह से मृत्युकालिक कथन को गढ़ने में रुचि रखते थे। मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित घोषणा में संदेह का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।"

(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य*** (एस.सी.सी-2022-(8)-576) में सुचित) के वाद में दिया गया निर्णय, इस मामले में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृत्युकालिक कथन अंतिम बयान है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आसन्न मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों के बारे में दिया जाता है जिनके परिणामस्वरूप उस स्थिति में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जब कथनकर्ता इस तथ्य से अवगत होता है कि उसके जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 1872" के रूप में संदर्भित किया गया है) में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु के कारण के बारे में, या उन परिस्थितियों में से किसी के बारे में बयान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, तो ऐसा बयान, मौखिक या लिखित रूप में मृतक पीड़ित द्वारा गवाह को दिया जाना एक प्रासंगिक तथ्य है और साक्ष्य में स्वीकार्य है। उक्त मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मृत्युकालिक कथन किसी दुर्बलता से ग्रस्त है, तो यह किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित करे और संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलना चाहिए। इस प्रकार, यद्यपि मृत्युकालिक कथन

साक्ष्य का एक ठोस भाग है, हालाँकि इस पर भरोसा किया जाना चाहिए यदि यह साबित हो जाता है कि यह स्वैच्छिक, सच्चा था और पीड़ित स्वस्थ मन:स्थिति में था।उक्त निर्णय में,***खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य*** (ए. आई. आर. 1958 एस. सी-22 में सुचित किया गया) के वाद में दिए गए एक फैसले का संदर्भ दिया गया है, जिसमें उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है जहां न्यायालय बिना पुष्टि के मृत्युकालिक कथन को स्वीकार कर सकता हैं, जो यहां नीचे सूचीबद्ध हैंः.

> *"(1) कि यह कानून के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है;*
>
> *(2) कि प्रत्येक मामले का निर्धारण उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना चाहिए जिनमें मृत्युकालिक कथन किया गया था;*
>
> *(3) कि यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन अन्य साक्ष्यों की तुलना में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है;*
>
> *(4) कि मृत्युकालिक कथन एक अन्य साक्ष्य के समान आधार पर खर्डा है और इसका निर्णय आसपास की परिस्थितियों के प्रकाश में और साक्ष्य के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए;*
>
> *(5) कि एक मृत्युकालिक कथन जो एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से, अर्थात प्रश्नों और उत्तरों के रूप में दर्ज किया गया है, और जहाँ तक व्यवहार्य है,कथन के निर्माता के शब्दों में, एक मृत्युकालिक कथन की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर है जो मौखिक गवाही पर निर्भर करती है जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी दुर्बलताओं से पीड़ित हो सकती है, और*
>
> *(6) कि मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए,न्यायालय को परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जैसे कि मरने वाले व्यक्ति को अवलोकन के लिए अवसर, उदाहरण के लिए, क्या रात में अपराध किए जाने समय पर्याप्त प्रकाश था; क्या बताए गए तथ्यों को याद रखने की व्यक्ति की क्षमता, जब वह बयान दे रहा था, उस समय उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से बाधित नहीं हुई थी; कि बयान पूरे समय सुसंगत रहा है*

यदि उसके पास आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा मृत्युकालिक कथन करने के कई अवसर थे; और यह कि बयान जल्द से जल्द अवसर पर दिया गया था और इच्छुक पक्षों द्वारा शिक्षण का परिणाम नहीं था।"

(v) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***गोविंद नारायण बनाम राजस्थान राज्य*** (एस.सी.सी-1993(3)-343 में सुचित) वाद में दिया गया निर्णय। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक मृत्युकालिक कथन ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित नहीं होता है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यदि मृत्युकालिक कथन के गवाह पूरी तरह से असंगत हैं और आवश्यक बिंदुओं पर भिन्न हैं, तो इस तरह के मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करना असुरक्षित है। यह भी माना गया है कि जहां एक अस्पष्ट कारण से, लेखक को परीक्षा/प्रतिपरीक्षा के लिए पेश नहीं किया गया है, वहां इस तरह के मृत्युकालिक कथन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सुधाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य*** (एस.सी.सी-2000(6)-671 मे सुचित) में दिया गया निर्णय। उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत्युकालिक कथन को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है, हालांकि, जिस व्यक्ति या एजेंसी पर भरोसा किया जा रहा है, वह बयान देने को एक तथ्य के रूप में साबित करने के लिए एक विधिक दायित्व के तहत है और यदि यह लिखित रूप में है, तो लेखक को न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए और यदि यह मौखिक है, तो इसे उस व्यक्ति की जांच करके साबित किया जाना चाहिए जिसने मृतक को बयान देते हुए सुना था।

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***डैनी बोरा बनाम असम राज्य*** (एस.सी.सी-2014(14)-42 में सुचित) में दिए गए एक निर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि इस निर्णय में न्यायालय, आवश्यक गवाहों से पूछताछ न होने और अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें रोके जाने से, अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य होगा, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यदि ऐसे गवाह से पूछताछ की गई होती, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता। इस संबंध में, ***ईश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** (एस.सी.सी-(1976)(4)-355 में सुचित) वाद में दिए गए एक और निर्णय पर भरोसा किया गया है।अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा ***मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य*** (एस.सी.सी-1999-(9)-209 में सुचित) में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है। यह तर्क देना कि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रारंभिक संस्करण के अभियोजन द्वारा दमन भी एक आवश्यक दुर्बलता है। अंत में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने ***मध्यप्रदेश राज्य बनाम रमजान खान और अन्य*** (एस.सी.सी.-2024 आनलाइन-एस.सी-3070 में सुचित) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। यह तर्क देने के लिए कि एक प्राथमिकी एक विश्वकोश नहीं है जोकि पूरे अभियोजन मामले से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करता है, जिसे कभी भी सबूत के एक ठोस भाग के रूप में नहीं माना जाता है और इसका उपयोग केवल अपने निर्माता की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है जब वह एक गवाह के रूप में न्यायालय में पेश होता है।

9. *इसके विपरीत,* सूचना देने वाले के विद्वान अधिवक्ता, श्री सूरज नारायण यादव ने प्रस्तुत किया है कि पी. डब्ल्यू. 3 राम कुमार सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने मृतक-सुचनादाता के *फर्दबयान* पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वही स्थिति साबित हुई और वास्तव में, फर्दबयान की रिकॉर्डिंग के मुद्दे पर बचाव पक्ष द्वारा जिरह नहीं की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि पी. डब्ल्यू. 4 संजय कुमार शर्मा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अपने पिता को इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर ले गए थे, जहां पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था और उन्होंने अपने पिता के *फर्दबयान* पर अपने हस्ताक्षर किए थे, इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 4 ने *फर्दबयान* साबित कर दिया है, इसलिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 5, अर्थात वर्तमान वाद के जांच अधिकारी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने मृतक-सूचनादाता के फर्दबयान को अपने अग्रेषण पत्र द्वारा अग्रेषित किया था, जिसे उन्होंने अपने लिखित में होने के रूप में पहचाना है और उस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं और उसे इ.एक्स.टी1/1 के रूप में चिह्नित किया गया था, इस प्रकार *फर्दबयान* निश्चित रूप से साबित हुआ है।

10. इस मोड़ पर, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम, 1872 की धारा 33 को इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि न्यायिक कार्यवाही में या इसे लेने के लिए विधि द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य, बाद की न्यायिक कार्यवाही में साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। या, उसी न्यायिक

कार्यवाही के बाद के चरण में, उन तथ्यों की सच्चाई जो यह बताती है, जब गवाह मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है, इसलिए मृतक-सुचनादाता के *फर्दबयान* को बहुत अच्छी तरह से सबूत का एक प्रासंगिक भाग कहा जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि मृतक का बयान अधिनियम, 1872 की धारा 32 (1) के आधार पर एक मृत्युकालिक कथन है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***श्री भगवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** (एस.सी.सी.-2013(12)-137) के वाद में दिए गए एक निर्णय पर निर्भरता रखी गई है। जो यह तर्क देता है कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि घटना के तुरंत बाद गवाहों के समक्ष दिए गए पीड़ित/मृतक के बयान को अधिनियम, 1872 की धारा 32 (1) के चार बिंदुओ के भीतर आने वाली मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जाता है।, भले ही यह एक बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया हो,पीड़ित की मृत्यु के बाद और फिर अधिनियम, 1872 की धारा 32 (1) द्वारा शासित कथन पर लागू होने वाली किसी भी विश्वसनीयता को स्वचालित रूप से ऐसे बयान पर सभी तरह से लागू माना जाना चाहिए। यह आगे बताया गया है कि चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि घातक प्रहार, जो चोट संख्या-15 से संबंधित है, हालांकि अपीलार्थी नं. 1 नंद किशोर राय और सह-दोषी अर्जुन राय,से सम्बंधित है, फिर भी, अन्य सह-दोषियों को भा. द. सं. की धारा 34 के आधार पर कवर किया जाएगा। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***रामजी सिंह बनाम बिहार राज्य*** (एस.सी.सी-2001-(9)-528-मे सुचित) में दिए गए निर्णय का संदर्भ है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितियों और जिस तरीके से हमला किया जाता है, उससे सामान्य इरादे को एकत्र किया जा सकता है।

11. राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक, श्री अजय मिश्रा ने प्रस्तुत किया है कि *फर्दबयान* दर्ज करर्ने वाले से पूछताछ न करने से किसी भी मामले में मृत्युकालिक कथन को दूषित नहीं किया जाएगा। आगे यह कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की विश्वसनीयता पर बचाव पक्ष द्वारा महाभियोग नहीं चलाया गया है और वास्तव में, गवाहों की गवाही अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने पी. डब्ल्यू.-1 हिमांशु शेखर के साक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच अधिकारी (पी. डब्ल्यू. 5) द्वारा साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है, इसलिए उनका साक्ष्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए

पर्याप्त है। राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इसके बाद पी. डब्ल्यू. 6 यानी डॉ. पुरुषोत्तम कुमार के साक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने निष्कर्ष में कहा है कि मृतक-सुचनादाता के शरीर पर पाए गए घाव उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले पर भरोसा किया है, जो कि ***बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य*** (एस.सी.सी.-2006-(12)283 में सुचित) के वाद में है, कि यह तर्क देने के लिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक के मृत्युकालिक कथन का अभिलेखित नही किया जाना, स्वयं पूरे अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि विधि यह भी प्रदान नहीं करती है कि मृत्युकालिक कथन किसी भी निर्धारित तरीके से या प्रश्नों और उत्तरों के रूप में की जानी चाहिए, हालाँकि, मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक होना चाहिए और प्रशिक्षित नहीं होना चाहिए, साथ ही साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता भी अधिनियम, 1872 की धारा 32 के संदर्भ में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस संबंध में, ***जय करण बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.)*** (एस.सी.सी-1999(8)-.161 में सुचित) के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसे पैराग्राफ संख्या-10 में सुचित किया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः.

> *"10. मृत्युकालिक कथन आवश्यकता के सिद्धांत पर साक्ष्य में स्वीकार्य है और यदि यह विश्वसनीय पाया जाता है तो दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। हालाँकि यह सुनी-सुनाई गवाही को प्रतिबंधित करने वाले सामान्य नियम के अपवाद की प्रकृति में है, लेकिन यह इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि आम तौर पर एक मरने वाला व्यक्ति किसी गंभीर अपराध के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाता नहीं है। यह वह पूर्वाभास है जिसे इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है कि बयान के निर्माता को शपथ पर ऐसा कहना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा प्रतिपरीक्षा की जानी चाहिए जिसे फंसाया जा रहा है। ताकि मृत्युकालिक कथन की आवश्यकता के बिना दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सके। स्वतंत्र पुष्टि के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि*

इसे बनाने वाले व्यक्ति के पास संलिप्त व्यक्ति की पहचान करने का अवसर था और वह पूरी तरह से विश्वसनीय और दोषमुक्त है।यदि,वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह पाया जाता है कि बयान देने वाला उपयुक्त मन:स्थिति में था और उसने दूसरों से प्रभावित हुए बिना निजी जानकारी के आधार पर स्वेच्छा से बयान दिया था और न्यायालय को कड़ी जांच पर यह विश्वसनीय लगता है, तो विधि का कोई नियम या स्वविवेक भी नहीं है कि इस तरह के विश्वसनीय साक्ष्य पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। एक मृत्युकालिक कथन किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह साक्ष्य का एक स्वतंत्र भाग है-न तो अधिक मजबूत और न ही कमजोर-और बिना पुष्टि के कार्रवाई की जा सकती है यदि यह अन्यथा सच और विश्वसनीय पाया जाता है।"

12. राज्य के लिए विद्वान ए.पी.पी ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***ज्ञान चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य*** (एस.सी.सी.-2013-(14)-420 में सुचित) मे दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी विशेष तथ्य/परिस्थिति की प्रतिपरीक्षा में गवाह के समक्ष प्रश्न रखे जाने के अभाव में, ऐसे गवाह के साक्ष्य के अप्रतिरोध्य भाग पर भरोसा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***लक्ष्मीबाई बनाम भगवंतबुवा*** (एस.सी.सी.-2013-(4)-420 में सुचित) में दिए गए एक निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसके पैराग्राफ संख्या-40 जिसको यहाँ नीचे पुनर्प्रदर्शित किया गया हैः

*"**40.** इसके अलावा, तय किए गए विधिक प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है, कि यदि कोई पक्ष किसी गवाह के बयान की शुद्धता के संबंध में कोई संदेह उठाना चाहता है, तो उक्त गवाह को उसके उस हिस्से की ओर अपना ध्यान आकर्षित करके अपने बयान को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिस पर दूसरे पक्ष ने असत्य होने के कारण आपत्ति जताई है। इसके बिना उनकी विश्वसनीयता पर महाभियोग लाना संभव नहीं है। ऐसी विधि, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 138 में निहित वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया है, जो विरोधी पक्ष को अपने प्रारंभिक परीक्षण के दौरान साक्ष्य में दी गई जानकारी के संबंध में एक गवाह से जिरह करने में*

सक्षम बनाता है, और इस प्रावधान का दायरा साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 द्वारा बढ़ाया गया है, जो एक गवाह को उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए पूछताछ करने की अनुमति देता है।इसके बाद, उसके साक्ष्य के अप्रतिरोधित भाग पर भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि गवाह के लिए उस संबंध में किसी भी संदेह को समझाना या विस्तार से बताना असंभव है, उन परिस्थितियों के संबंध में उसके सामने रखे गए प्रश्नों के अभाव में जो यह इंगित करते हैं कि उसके द्वारा प्रदान की गई घटनाओं के संस्करण पर विश्वास करने के लिए उपयुक्त नहीं है, और गवाह स्वयं अयोग्य है।इस प्रकार, यदि कोई पक्ष किसी गवाह पर महाभियोग चलाने का इरादा रखता है, तो उसे गवाह को एक पूर्ण और उचित स्पष्टीकरण देने के लिए गवाह बॉक्स में पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए।गवाहों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी यह आवश्यक है।"

इस प्रकार, यह बताया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है, जो उनकी गवाही के संगत परिसाक्ष्य हो,विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय और दिए गए सजा के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वर्तमान अपील खारिज किए जाने के लिए उपयुक्त है।

13. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के अलावा, हमने मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया है। आगे बढ़ने से पहले, साक्ष्य पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करना आवश्यक है।

14. पी. डब्ल्यू. 1 हिमांशु शेखर ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह घटना दिनांक 09.02.2005.को लगभग 9 बजे सुबह की है,जब वह *जय* की फसल काट रहा था और *हल्ला* (अलार्म) सुना तो वह एक खस्ताहाल सड़क पर स्थित घटना स्थल पर गया और देखा कि मृतक-सूचनादाता शिवेश्वर शर्मा को अर्जुन राय, सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2), नंद बाली राय (अपीलकर्ता संख्या 1), रंजीत राय (अपीलकर्ता संख्या 3) और संजीत राय द्वारा पीटा जा रहा था, जो *खंती* और रॉड से लैस थे। नंद बाली (अपीलार्थी संख्या 1) पिस्तौल से लैस था और अन्य *लाठी* से लैस थे। पीडब्लू. 1 ने आगे कहा है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक-सुचनादाता पर हमला किया था, जिसके बाद अर्जुन राय ने मृतक-सुचनादाता से एक बी एस ए साइकिल, नकद 1500 रुपये की राशि और भूमि से संबंधित दस्तावेजों छिन लिये और फिर भाग गया। इसके बाद घायल को समस्तीपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया

गया और वहाँ पुलिस द्वारा घायल का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद, घायल को पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी हालत खराब होने के कारण उसे डॉ. आर. आर. झा के क्लीनिक में ले जाया गया और वहां भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पी. डब्ल्यू.-1-ने नंद बाली राय और रंजीत राय को पहचाना था, जो कठघरे में खड़े थे, और यह भी कहा है कि वह अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को पहचान सकता है।पी. डब्ल्यू. 1 ने अपनी जिरह में कहा है कि मृतक उसका चाचा है और उनके घर बगल में स्थित हैं। उनके द्वारा घटना स्थल को अपने घर से आधा किलोमीटर पूर्व में और दक्षिणी तरफ 8-10 बांस की लंबाई (*लगा*) की दूरी पर स्थित बताया गया है, *जय* के खेत स्थित हैं। *जय* के बीच में पी.डब्लू.-1 के खेत और घटना स्थल के बीच 3-4 व्यक्तियों का खेत स्थित है और उस समय उनके साथ उक्त खेतों में काम करने वाले व्यक्ति भी घटना स्थल की ओर गए थे जो पांडव शर्मा, देवेंद्र शर्मा, भोला सिंह और राम कुमार सिंह थे। पी. डब्ल्यू. 1 ने कहा है कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे थे, तो 5-6 लोग मौजूद थे और उसके बाद कई लोग वहां पहुंचे थे। पी. डब्ल्यू. 1 ने अपने चाचा को नीचे गिरते और बेहोश होते देखा था और उनके शरीर से खून भी बह रहा था और उनके कपड़े खून से लथपथ थे।इसके बाद, जो लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने उनके चाचा को उठा लिया और उन्हें समस्तीपुर सरकारी अस्पताल में ले गए। और वह भी वहाँ गया था जहाँ उंनका इलाज किया गया था और फिर मृतक होश में आ गया था और पुलिस को बयान दिया था, हालाँकि, उनकी हालत बिगड़ने लगी थी, इसलिए उन्हें उसे पटना ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वे उसे डॉ. आर. आर. झा के क्लिनिक में ले गए जहाँ एक घंटे तक इलाज किया गया और फिर सूचनादाता की मृत्यु हो गई थी। पी. डब्ल्यू. 1 ने यह भी कहा है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी आरोपी व्यक्ति मृतक को पीट रहे थे और उसने पुलिस के सामने बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि सुबोध और अर्जुन राय, जो लोहे की छड़ से लैस थे, नंद बाली पिस्तौल से और अन्य आरोपी व्यक्तियों,जो लाठी से लैस थे, ने मृतक को पीटा था और अर्जुन राय ने साइकिल और जमीन के दस्तावेज लूट लिए थे। पी. डब्ल्यू. 1 ने आगे कहा कि मृतक-सुचनादाता का ग्रामीणों के साथ विवाद चल रहा था।

15. पी. डब्ल्यू. 2 प्रभात रंजन ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह घटना दिनांक 09.02.2005 बुधवार, सुबह लगभग 9 बजे की है। पी. डब्ल्यू. 2 घटना स्थल

से 200 गज पश्चिम की दूरी पर काम कर रहा था जब एक अलार्म बजाया गया और फिर वह भागकर घटना स्थल पर गया जहां उसने देखा कि अर्जुन राय, सुबोध राय (अपीलार्थी संख्या 2), नंद किशोर राय (अपीलार्थी नंबर 1), संजीत राय और रंजीत राय (अपीलकर्ता नंबर 3) उसके पिता पर हमला कर रहे थे। घटनास्थल सड़क के पास पूर्वी तरफ *सुरभी पोखर* के पास स्थित है। पीडब्लू 2 ने कहा है कि उसने अर्जुन राय और सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2) को *खंती* द्वारा अपने पिता पर हमला करते देखा था, जबकि नंद किशोर राय उर्फ नंदा (अपीलकर्ता संख्या 1) उसके पिता की छाती पर बैठा था और पिस्तौल के बट से उस पर हमला कर रहा था। संजीत राय और रंजीत राय (अपीलकर्ता संख्या 3) पी. डब्ल्यू. 2 के पिता को *लाठी* से पीट रहे थे, जबकि रामजी राय अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को पी. डब्ल्यू. 2 के पिता को मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अर्जुन राय तब बीएसए साइकिल और भूमि से संबंधित दस्तावेज लेकर भाग गया था, जबकि नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1) ने मृतक की जेब से 1500 रुपये की राशि निकाल ली थी और भाग गया था। पी. डब्ल्यू. 2 ने आगे कहा है कि इसके बाद उनके पिता को एक कार में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया, हालांकि, जब स्थिति खराब हुई तो उन्हें पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया गया और इस बीच, पुलिस आई और उनके पिता का *फर्द्बयान* अभिलेखित किया और क्योंकि उनके पिता को दाहिने हाथ में कई चोटें आई थीं, इसलिए वे हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने अपने अंगूठे का निशान लगा दिया था। पी. डब्ल्यू. 2 ने आगे कहा कि उनके पिता को पटना नहीं ले जाया जा सका, लेकिन उन्हें समस्तीपुर डॉ. आर. आर. झा के चिकित्सालय ले जाया गया,जहाँ 9 बजे रात में उनकी मृत्यु हो गई। पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि उनके पिता का *फर्दबयान* राम कुमार सिंह और संजय कुमार शर्मा की उपस्थिति में दर्ज किया गया था, जिन्होंने भी *फर्दबयान* पर अपने हस्ताक्षर किए थे।पी. डब्ल्यू. 2 ने भी अपीलार्थियों को मान्यता दी थी। जिरह में पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था और उसने पुलिस को बताया था कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने अर्जुन राय, सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2), नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1), संजीत राय और रंजीत राय (अपीलकर्ता संख्या 3) को अपने पिता को पीटते हुए देखा और जबकि अर्जुन राय और सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2) *खंती* द्वारा उसके पिता पर हमला कर रहे थे, नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1) उसके पिता की छाती पर बैठा हुआ था और उस पर पिस्तौल के बट से हमला कर रहा थ। पी. डब्ल्यू. 2 ने यह भी कहा है कि

उसने पुलिस को बताया था कि रामजी राय आरोपी व्यक्तियों को उकसा रहा था और फिर रंजीत राय (अपीलकर्ता संख्या 3) और संजीत राय ने मृतक पर बार-बार *लाठी* से हमला किया था। पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि उनके घर के पूर्वी हिस्से में, लगभग आधा किलोमीटर पर, घटनास्थल स्थित है जहाँ सड़क तालाब से होकर गुजरती है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे, तो 10-15 लोग वहां मौजूद थे जो सभी ग्रामीण थे, जहां सब्जी उगाई गई थी उस घटना स्थल पर खून बह गया था और उनके पिता के कपड़े खून से सने हुए थे। पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि उस समय उनके पिता होश में थे लेकिन कभी-कभी वे बेहोश हो जाते थे। इसके बाद, पी. डब्ल्यू. 2 के पिता को उठाया गया और समस्तीपुर ले जाया गया। लगभग 11:00 बजे सुबह, पी. डब्ल्यू. 2 के पिता को सरकारी अस्पताल लाया गया जहां वह होश में/बेहोश हो रहे थे और डॉक्टर ने सूचनादाता को पटना ले जाने के लिए कहा था। तब वहाँ थानाप्रभारी पहुँचा और शाम को पी. डब्ल्यू. 2 के पिता का *फर्दबयान* दर्ज किया और उस समय भी वे होश में/बेहोश हो रहे थे, हालाँकि उन्होंने अपना बयान होश में रहते हुए दिया था और उसके बाद वे बेहोश हो गए थे। इसके बाद सूचनादाता को शाम लगभग 7 बजे डॉ. आर. आर. झा के क्लीनिक ले जाया गया,और वहाँ भी, वह होश में और बेहोश हो रहे थे और फिर लगभग 9 बजे रात में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने आईपीसी की धारा 307 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है, जो अभी भी चल रहा है और वास्तव में उनके पिता भी भूमि विवाद से संबंधित कई मामले लड़ रहे थे।

16. पी. डब्ल्यू. 3 राम कुमार सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि लगभग 9 से 9:30 बजे सुबह वह अपने मोटरसाइकिल पर अकेले नाथपुरा में स्थित अपने बच्चे के ससुराल जा रहा था और जब वह गाँव के ठीक सामने स्थित तालाब पर पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। और एक व्यक्ति को रॉड, *खंती* और *लाठी* से पीट रहे थे। वे शिवेश्वर शर्मा को पीट रहे थे। अर्जुन राय, सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2), रंजीत राय (अपीलकर्ता संख्या 3) और अन्य शिवेश्वर शर्मा को पीट रहे थे जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया और उसके हाथों और पैरों से खून बह रहा था। इसके बाद उनके बेटे संजय शर्मा और प्रभात शर्मा के वहां पहुंचने पर हंगामा मच गया और फिर घायल को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पटना के पी.एम सी.एच अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने

समस्तीपुर में ही घायलों का बयान दर्ज किया था, हालांकि डॉ. रति रमन झा के क्लीनिक में इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। पी. डब्ल्यू. 3 ने यह भी कहा है कि उन्होंने *फर्द्बयान* पर हस्ताक्षर किए थे। उसने कटघरे में खड़े सभी अभियुक्तों को भी पहचान लिया था। जिरह में पी. डब्ल्यू. 3 ने कहा है कि उनके भाई के ससुर रमाकांत सिंह हैं और वह अक्सर वहां नहीं जाते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वहां जाते थे।उन्होंने कहा है कि उनका घर घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पी. डब्ल्यू. 3 ने कहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने शिवेश्वर शर्मा को जमीन पर गिरते देखा, आरोपी व्यक्ति उन्हें पीट रहे थे और उस समय उक्त स्थान का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, हालांकि उन्होंने का अलार्म का मुद्दा उठाया था। जिसके बाद मृतक के सह-ग्रामीण और परिवार के सदस्य वहां पहुंचे थे और जब उक्त व्यक्तियों ने आरोपी व्यक्तियों का पीछा किया था, तो वे भाग गए थे और फिर सभी लोग घायल व्यक्ति के पास गए थे और देखा था कि वह नियमित अंतराल पर होश में/बेहोश हो रहा था। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतक के परिवार के सदस्यों के अलावा गांव के 25 लोग वहां मौजूद थे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायलों को उठाया और उन्हें समस्तीपुर के सदर अस्पताल ले गए। उसने कहा है कि वह उनके साथ नहीं गया था, बल्कि अपने बच्चे के ससुराल गया था, हालांकि, वे मौजूद नहीं थे और आधे घंटे तक वहां रहने के बाद वह वापस अपने घर गया और घटना के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को बताया।

17. पीडब्लू. 4 मृतक-सूचनादाता के बेटे संजय कुमार शर्मा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि सुचनादाता उसका पिता है और यह घटना लगभग सात साल पहले 09.02.2005 (बुधवार) को हुई थी। उन्होंने कहा है कि उनके पिता लगभग 9:30 बजे सुबह समस्तीपुर सिविल कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए थे और उन्हें उनके साथ जाना था, लेकिन वह किसी काम के कारण वापस आ गए थे और अपने पिता से कहा था कि वह पीछे से आएंगे, इसलिए उनके पिता, उनके सामने अपना घर से साइकिल पर गए थे, जिसके बाद वे भी अपना घर से साइकिल पर गये थे। पी. डब्ल्यू. 4 ने यह भी कहा है कि जब उनके पिता सुबाधी तालाब के पूर्वी हिस्से की ओर पहुंचे थे, तो वे भी पीछे से वहां पहुंचे थे और फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन राय *खंती* से लैस, सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2), लोहे की *खंती* से लैस और पिस्तौल से लैस नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1) उसके पिता को पीट रहे थे और उनकी गर्दन दबा रहे थे।

रंजीत राय (अपीलार्थी संख्या 3) और संजीत राय भी पी. डब्ल्यू. 4 के पिता पर लाठी से हमला कर रहे थे। पीडब्लू 4 द्वारा कहा गया है कि उनके पिता बुरी तरह से घायल हो गए थे, नीचे गिर गए थे और उनका दाहिना हाथ भी टूट गया था, इसके अलावा उन्हें बाएं हाथ और पैर में चोट लगी थी और उनकी छाती पर भी चोट लगी थी। इसके बाद, अर्जुन राय पी. डब्ल्यू. 4 के पिता की साइकिल लेकर भाग गया था, जिस पर पेंशन और मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों वाला एक थैला लटका हुआ था। इसके बाद सूचनादाता को इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया और इलाज के दौरान पुलिस अस्पताल पहुंची और पी. डब्ल्यू. 4 के पिता का बयान दर्ज किया। जैसे ही पी. डब्ल्यू. 4 के पिता का हाथ टूटा था, उन्होंने अंगूठे का निशान लगा दिया था। पी. डब्ल्यू. 4 के पिता की हालत बिगड़ गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के कारण उन्हें समस्तीपुर में डॉ. आर. आर. झा के क्लीनिक में ले जाया गया, जहां इलाज शुरू हो गया था। लेकिन इलाज के दौरान उसी दिन रात करीब 10 बजे उनकी मौत हो गई। पी. डब्ल्यू. 4 ने कहा है कि उन्होंने अपने पिता के *फर्दबयान* पर भी अपने हस्ताक्षर किए थे जिसे वे पहचानते हैं और इसे इ.एक्स.टी-.1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कठघरे में खड़े सभी अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात्, सुबोध राय (अपीलार्थी संख्या 2), रंजीत राय (अपीलार्थी संख्या 3) और नंद किशोर राय (अपीलार्थी संख्या 1) को भी पहचाना था।

18. जिरह में पी. डब्ल्यू. 4 ने कहा कि पुलिस ने उसका बयान भी दर्ज किया था और उसने पुलिस के सामने कहा था कि *खंती* से लैस अर्जुन राय और सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2) और पिस्तौल से लैस नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1) उसके पिता पर हमला कर रहे थे और उसकी गर्दन दबा रहे थे और रंजीत (अपीलकर्ता संख्या 3) और संजीत भी *लाठी* से उसके पिता पर हमला कर रहे थे। पी. डब्ल्यू. 4 ने आगे कहा कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो राम कुमार सिंह, कामता प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, पांडव सिंह आदि सहित इलाके के लगभग दस लोग वहां मौजूद थे, जो अलग-अलग लगभग 1 गज की दूरी पर खड़े थे और जब उन्होंने शोर मचाया तो परिवार के सदस्य वहां पहुंचे और फिर उन्होंने देखा कि सूचना देने वाला नीचे गिर गया था, घायल अवस्था में दर्द से कांप रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था और उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। पी. डब्ल्यू. 4 ने आगे कहा कि उन्होंने तब

घटना स्थल पर एक मार्शल वाहन को बुलाया था और हलई पुलिस स्टेशन के रास्ते समस्तीपुर गए थे, जहां घटना के बारे में मौखिक जानकारी दी गई थी, हालांकि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों के नामों के बारे में खुलासा किया था या नहीं। पी. डब्ल्यू. 4 ने यह भी कहा है कि वे लगभग 12:00 बजे समस्तीपुर अस्पताल पहुंचे थे, जहाँ उनके पिता बीच-बीच में होश में आ जाते थे और बेहोश हो जाते थे, जहाँ से उन्हें पटना भेजा जाता था, लेकिन सूचना देने वाले को राय लेने के लिए डॉ. आर. आर. झा के क्लिनिक ले जाया गया, जहाँ सूचनादाता शाम 7-8 बजे तक होश में था और फिर वह पूरी तरह से होश में नहीं आया, हालाँकि दो घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पी. डब्ल्यू. 4 ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने उनके और उनके पिता के खिलाफ भा. द. सं. की धारा 307 के तहत मामला भी दर्ज किया है और दोनों पक्षों के बीच एक मालिकाना हक का मुकदमा चल रहा है। पी. डब्ल्यू. 4 ने इस बात से इनकार किया है कि उनके पिता दुर्घटना के कारण गिर गए थे और घायल हो गए थे और उनके पिता ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और इसके बजाय उनके अंगूठे का निशान बेहोश अवस्था में लिया गया था।

19. पी. डब्ल्यू. 5 सुबोध कुमार सिंह, जो वर्तमान वाद के जांच अधिकारी हैं, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि आई. डी. 1 पर वे हलई चौकी के प्रभारी थे और उस दिन से शिवेश्वर प्रसाद शर्मा का *फरदबेयान* प्राप्त हुआ था। जिसके बाद उन्होंने इसे वाद दर्ज करने के लिए टाउन पुलिस स्टेशन, समस्तीपुर, के प्रभारी अधिकारी को भेज दिया था। उन्होंने अग्रेषण नोट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है जिसे इ.एक्स.टी.1/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। शिवेश्वर प्रसाद शर्मा के *फर्दबयान* के आधार पर भा. द. सं. की धारा 148,307 और 379 के तहत ताजपुर थाना कांड संख्या 37/2005 दर्ज किया गया था। सूचनादाता की उपचार के दौरान 09.02.2005 की रात में मृत्यु हो गई थी और मृतक की अन्वेषण रिपोर्ट 10.02.2005 पर प्राप्त हुई थी। पी. डब्ल्यू. 5 ने जांच रिपोर्ट की कार्बन प्रति की पहचान की है, जो समस्तीपुर के नगर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन निरीक्षक आर. डी. सिंह के द्वारा लिखित रूप में लिखी गई है, जिसपर उन्होने अपने हस्ताक्षर भी किए थे, जिसे पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा मान्यता दी गई है और इ.एक्स.टी-.2 के रूप में चिह्नित किया गया है। पी. डब्ल्यू. 5 ने आगे कहा है कि जांच का प्रभार संभालने के बाद वह ग्राम-केशव नारायणपुर में स्थित मृतक के घर गया था, जहाँ उसने अशरफी सदा, अशोक कुमार, देव ठाकुर, सीता देवी, राम मुनि

सिंह, राजेश कुमार और राजकुमारी देवी जैसे गवाहों के बयान दर्ज किए थे और साथ ही घटना स्थल का निरीक्षण भी किया था। पी. डब्ल्यू. 5 ने कहा है कि घटनास्थल केशव नारायणपुर से 100 मीटर पूर्व में सड़क के पास स्थित है। घटना स्थल के पास की सड़क 12 फीट चौड़ी है और दोनों ओर 3 से 4 फीट चौड़ी है जहाँ कच्ची सोलिंग मौजूद है। और घटना के उत्तरी स्थान पर आरोपी अर्जुन राय का गेहूं की फसल का खेत मौजूद है जबकि घटना के स्थान के दक्षिणी हिस्से में अवधेश शर्मा का फसल का खेत मौजूद है। पी. डब्ल्यू. 5 ने कहा है कि उसने गवाहों पांडव सिंह, महेश्वर प्रसाद शर्मा, संजय कुमार शर्मा (पी. डब्ल्यू. 4), प्रभात राजन (पी. डब्ल्यू. 2), हिमांशु शेखर (पी. डब्ल्यू. 1) के बयान दर्ज किए थे। उन्हें सदर अस्पताल से मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी मिली थी। पी. डब्ल्यू. 5 ने आगे कहा है कि गवाहों के बयान, घटना स्थल के निरीक्षण और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने आरोपी संजीत राय और अर्जुन राय के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि जांच को अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लंबित रखा था, हालांकि बाद में बाकी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि अन्य को भगोड़ा दिखाया गया था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मृतक का बयान दर्ज नहीं किया था। पी. डब्ल्यू. 5 ने यह भी कहा है कि *फर्दबयान* और अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद,वह घटनास्थल पर गया था जहाँ वह मृतक के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों से मिला था, जिसके बाद उसने उनका बयान दर्ज किया था। पी. डब्ल्यू. 5 ने कहा है कि आई. डी. 1 पर उन्होंने प्रभात रंजन (पी. डब्ल्यू. 2) का बयान दर्ज किया था, जिन्होंने अपने बयान में यह खुलासा नहीं किया था कि रामजी राय ने मृतक को मारने का आदेश दिया था। जिस पर आरोपी सुबोध राय (अपीलार्थी संख्या 2) ने पिस्तौल के बट से हमला किया था, जिसके बाद नंद किशोर (अपीलार्थी संख्या 1) ने *खंती* द्वारा हमला किया था और मृतक की गर्दन दबा दी थी। पी. डब्ल्यू. 5 ने इस बात से इनकार किया है कि प्रभात रंजन (पी. डब्ल्यू. 2) ने उनके सामने कहा था कि आरोपी अर्जुन राय ने साइकिल छीन ली थी, जबकि नंद किशोर (अपीलकर्ता संख्या 1) ने मृतक से 1500/ रुपये की राशि छीन ली थी। पी. डब्ल्यू. 5 ने कहा है कि पी. डब्ल्यू. 2 ने उनके सामने कहा था कि घटना के समय वह अपने भाई के साथ अपने घर पर सब्जी लगा रहे थे। पी. डब्ल्यू. 5 ने यह भी कहा है कि गवाह अशरफी सदा ने उनके सामने यह नहीं कहा था कि अर्जुन और सुबोध कोड़े (सोटा) और लोहे की छड़ (छड़) से हमला कर रहे थे। पी. डब्ल्यू. 5 ने कहा है कि गवाह राम कुमार सिंह (पी. डब्ल्यू. 3) ने उनके सामने यह नहीं कहा

था कि सुबोध (अपीलार्थी संख्या 2) खंती और अर्जुन रॉड से लैस थे। पी. डब्ल्यू. 5 ने यह भी कहा है कि गवाह हिमांशु शेखर (पी. डब्ल्यू. 1) ने कहा था कि नंद किशोर (अपीलकर्ता संख्या 1) ने मृतक पर पिस्तौल से, अर्जुन और सुबोध (अपीलकर्ता संख्या 2) ने रॉड से और रंजीत (अपीलकर्ता संख्या 3) ने मृतक पर *लाठी* से हमला किया था। पी. डब्ल्यू. 5 ने यह भी कहा है कि गवाह, अर्थात् संजय कुमार शर्मा ने उनके सामने यह नहीं दर्जकराया था कि रामजी घटना स्थल पर खड़े थे और उन्होंने मृतक को मारने का आदेश दिया था, साथ ही उन्होंने यह भी नहीं कहा था कि नंद किशोर (अपीलकर्ता संख्या 1) छाती पर बैठे थे और उसकी गर्दन पर पर दबाव डाल रहे थे,रंजीत (अपीलार्थी संख्या 3) और संजीत खंती द्वारा मृतक पर हमला कर रहे थे। पी. डब्ल्यू. 5 ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उनकी जांच त्रुटिपूर्ण है।

20. पी. डब्ल्यू. 6 डॉ. पुरुषोत्तम कुमार, जो डॉक्टर हैं, जो वर्ष 2005 में समस्तीपुर सदर अस्पताल में तैनात थे जिन्होंने मृतक अर्थात् शिवेश्वर प्रसाद शर्मा के शव का पोस्टमॉर्टम किया था, और पोस्टमॉर्टम जांच करने पर उन्हें शव पर निम्नलिखित पूर्व-परीक्षण चोटें मिलीं:.

(i) दाहिने हाथ के पृष्ठभाग पर घाव, आकार लगभग 1/2 "x 1/2" x मांसपेशियों की गहराई।

(ii) दाहिने अग्र-भुजा की हड्डियाँ चिकित्सकीय रूप से टूटी हुई पाई गईं।

(iii) बांह के दाहिने निचले हिस्से के पीछे की ओर तीन सिलवाए गए घाव, प्रत्येक की लंबाई लगभग 1" है।

(iv) दाहिने अंगूठे के पृष्ठभाग पर घाव, आकार लगभग 1" x 1/4" x मांसपेशियों की गहराई।

(v) दाहिने अग्र-भुजा के निचले तिहाई हिस्से पर चोट लगना, जिसका आकार लगभग 2" x 1/2" होता है।

(vi) बाईं तर्जनी के दूर के हिस्से पर घाव, आकार लगभग 1/2" x 1/4" x मांसपेशियों की गहराई।

(vii) बाएं घुटने के जोड़ के नीचे सामने 1" लंबाई का घाव सिलना।

(viii) बाईं एड़ी पर घर्षण, आकार 1" x 1/4"

(ix) दाहिने मध्य पैर की अंगुली के उदर पक्ष पर 1" लंबाई का घाव और दाहिने जांघ पर पार्श्व रूप से सिलवाया गया घाव, लंबाई में लगभग 5 1/2" आकार।

(x) बाएं नितंब पर चोट, आकार 1" x 1"

(xi) बाएं हाथ पर 1" x 1/4" चोट और बाएं कलाई के जोड़ पर चोट, आकार 1/2 "x 1/4" और बाएं कोहनी के जोड़ के पार्श्व पहलू पर, आकार 1/2" x 1/2"

(xii) निचले बाएँ जांघ के सामने चोट लगना 3 प्रत्येक की संख्या लगभग 1/2 x 1/2" है।

(xiii) बाएं छोटे पैर के अंगूठे और बगल के पैर के अंगूठे के बीच की जगह पर घाव सिलना, लंबाई में लगभग 1/2"

(xiv) दाहिने पैर के सामने, बाएं छोटे पैर के अंगूठे और दाहिने घुटने के जोड़ और दाएं और दाएं निचले जांघ पर कई चोटें।

(xv) बाईं ओर की छाती (सामने) 1/2" x 1/2" से 1/2" x 1/4" पर कई चोटें।

21. विच्छेदन पर पी. डब्ल्यू. 6 के निष्कर्ष इस प्रकार हैंः-

छाती के विच्छेदन परः-

(i) बाईं ओर की 3 वीं, 4 वीं, 5 वीं, 6 वीं पसलियाँ पूर्व भाग पर टूटी हुई पाई गईं।

(ii) बायीं ओर के फुफ्फुस और फेफड़े में घाव पाया गया।

(iii) बायीं फुफ्फुसीय गुहा रक्त से भरी हुई पाई गई।

अंगों के विच्छेदन परः-

दाहिने अग्र-भुजा की दोनों हड्डियाँ टूटी हुई पाई गईं और फ्रैक्चर के चारों ओर हेमेटोमा मौजूद था।

पी. डब्ल्यू. 6 ने उपयोग किए गए हथियार के बारे में निम्नलिखित राय दी हैः-

1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 नंबर के घाव, जो कठोर कुंद पदार्थ और बाकी घावों के कारण हुए हैं, पहले से ही सिलवाए गए हैं ताकि हथियारों का निर्धारण नहीं किया जा सके।

पी. डब्ल्यू. 6 ने पाया है कि मृत्यु के बाद से 6 से 24 घंटे का समय बीत चुका है।

पी. डब्ल्यू. 6 ने अंततः इस प्रकार राय दी हैः-

मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों से उत्पन्न रक्तस्राव और सदमा था।

22. पी. डब्ल्यू. 6 ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को साबित कर दिया है जो उनके लेखन में है और जिसे इ.एक्स.टी-.3 के रूप में चिह्नित किया गया है। पी. डब्ल्यू. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि सिवाय चोट संख्या-15 को छोड़कर सभी चोटें गैर-महत्वपूर्ण भागों पर पाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि चोट संख्या-9 को छोड़कर सभी चोटों की लंबाई और चौड़ाई 1" x 1/4" के बीच पाई गई थी। पी. डब्ल्यू. 6 ने कहा है कि वह यह नहीं कह सकते कि चोटें कर्ड पदार्थ या लाठी के कारण लगी थीं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे ऐसी चोटों के बारे में भी नहीं कह सकते हैं जो पोस्टमार्टम के समय सिलवाई हुई पाई गई हैं। पी. डब्ल्यू. 6 ने निष्कर्ष के रूप में कहा है कि मृतक के शरीर पर पाए गए घाव मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे।

23. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिनांक 07.11.2014 को अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए ताकि वे व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझा सकें, हालांकि उन्होंने अपने-अपने बयानों में, खुद को निर्दोष होने का दावा किया।

24. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना, विश्लेषण और जांच में उपरोक्त अपीलार्थियों को अपराधों का दोषी पाया है और अपने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

25. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के एक पुरे अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 09.02.2005 को 9:00 बजे सुबह यहाँ अपीलकर्ताओं के साथ-साथ अर्जुन राय और संजीत राय ने भी मृतक-सुचनादाता को घेर लिया था, जिसके बाद अर्जुन राय और सुबोध राय (अपीलकर्ता संख्या 2) ने *खंती* से लैस होकर मृतक-सुचनादाता पर हमला किया था, जिससे उसका दाहिना हाथ और दाहिनी कोहनी टूट गई थी। और इस बीच नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1) मृतक-सुचनादाता की छाती पर बैठ गया और अपनी पिस्तौल के बट से उसकी छाती पर हमला किया और उसकी गर्दन को भी दबाया, जिसके बाद संजीत राय और रंजीत राय (अपीलकर्ता संख्या 3) ने मृतक-सुचनादाता को *लाठी* से बेरहमी से पीटा, जिसके परिणामस्वरूप मृतक- सुचनादाता बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद, मृतक- सुचनादाता को समस्तीपुर के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज कर रहे डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर पाई, इसलिए उसने उसे आगे के इलाज के लिए पटना भेज दिया। इस मोड़ पर, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि पीडब्लू. 1 हिमांशु शेखर, पीडब्लू. 2 प्रभात रंजन, पीडब्लू. 3 राम कुमार सिंह और पीडब्लू. 4 संजय कुमार शर्मा उपरोक्त घटना के चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने इसमें अपीलकर्ताओं और दो अन्य लोगों द्वारा मृतक- सुचनादाता द्वारा किए गए कथन के संबंध में लगातार गवाही दी है, जो जिरह की कसौटी पर भी खरे उतरे है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में मामूली विचलन, यदि कोई महत्वहीन प्रकृति का भी है, तो अपीलार्थियों के अपराध को स्थापित करने के लिए मुकदमे में भारी अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों के मामले में अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है।

26. प्राथमिकी में अभियोजन पक्ष का कथन मुकदमे में पेश किए गए नेत्र साक्ष्य का पूरी तरह से का समर्थन करता है। और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा नेत्र साक्ष्य की पुष्टि की जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक के व्यक्ति पर पाई गई चोटें उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं। इस संबंध में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***भागचंद्र बनाम मध्यप्रदेश राज्य*** (एस.सी.सी.-2021(18)-274 में सुचित) में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

27. वास्तव में, अपीलार्थी गवाहों के बयान में कोई आवश्यक विरोधाभास नहीं दिखा पाए हैं, जैसे कि धारा 161 के तहत गवाहों द्वारा दिए गए बयान पी. डब्ल्यू. 5 सुबोध कुमार सिंह (जांच अधिकारी) को उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए दिए गए थे, हालाँकि, पी. डब्ल्यू. 5 के साक्ष्य के एक पुरे अवलोकन से पता चलता है कि जहां तक पी. डब्ल्यू. 1 का संबंध है, कोई विरोधाभास नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि पी. डब्ल्यू. 5 ने कहा है कि पी. डब्ल्यू. 1 ने कहा था कि नंद (अपीलार्थी संख्या 1) पिस्तौल से मृतक,पर हमला कर रहा था, अर्जुन और सुबोध (अपीलकर्ता संख्या 2) रॉड से, रंजीत (अपीलकर्ता संख्या 3) लाठी से, एक ऐसा बयान जो प्राथमिकी के साथ पूरी तरह से सुसंगत है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। पी. डब्ल्यू. 5 ने आगे कहा है कि जहां तक पी. डब्ल्यू. 2 प्रभात रंजन का संबंध है, उन्होंने अपने समक्ष दिए गए अपने बयान में यह खुलासा नहीं किया था कि रामजी राय ने मृतक को मारने का आदेश दिया था, जिस पर सुबोध राय (अपीलार्थी संख्या 2) ने पिस्तौल के बट से हमला किया था और फिर नंद किशोर (अपीलकर्ता संख्या 1) ने *खंती* द्वारा हमला किया था और मृतक की गर्दन दबा दी थी, क्योंकि प्राथमिकी में भी यह नहीं कहा गया है कि रामजी राय ने हत्या का आदेश दिया था, इसलिए कोई विसंगति नहीं है। इसी तरह, पी. डब्ल्यू. 5 का यह कथन कि पी. डब्ल्यू. 3 राम कुमार सिंह ने उनके समक्ष यह नहीं कहा था कि सुबोध (अपीलार्थी संख्या 2) *खंती* और अर्जुन रॉड से लैस थे, भी एक मामूली विसंगति है। जहां तक पीडब्लू 4 संजय कुमार शर्मा का संबंध है, कोई विरोधाभास सामने नहीं आया है क्योंकि पीडब्लू 5 ने अपनी जिरह में कहा है कि पीडब्लू 4 ने यह नहीं कहा था कि रामजी घटना स्थल पर खड़े थे और उन्होंने मृतक को मारने का आदेश दिया था और रंजीत (अपीलकर्ता संख्या 3) और संजीत मृतक पर खंती से हमला कर रहे थे। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों के नेत्र साक्ष्य पर विचार करते हुए, जो जिरह के परीक्षण का सामना कर चुके हैं, हमारी राय में, उनके साक्ष्य में मामूली विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये गवाह अविश्वसनीय नहीं प्रतीत होते हैं।

28. अब मृतक-सुचनादाता के *फर्दबयान* पर आते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क बहुत विस्तार से दिया गया है कि मृतक के बयान को सबूत

का एक ठोस भाग बनाने के लिए, उस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति या एजेंसी इस तरह के बयान को एक तथ्य के रूप में साबित करने के लिए विधिक दायित्व के तहत है, इसलिए लेखक, जिसने मृतक-सुचनादाता के *फर्द्बयान* को दर्ज किया, न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए था, हालांकि वर्तमान मामले में चूंकि मुकदमे के दौरान लेखक को पेश नहीं किया गया है, इसलिए मृतक-सुचनादाता का *फर्दबयान* अप्रमाणित रहा है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभिलेख में मौजुद साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक-सुचनादाता समय-समय पर होश में/बेहोश हो रहा था इसलिए मृतक-सुचनादाता गंभीर होने के कारण एक विस्तृत बयान नहीं दे सकता था जैसा कि उपरोक्त *फर्दबयान* के माध्यम से 09.02.2005 को दर्ज किया गया है और इसके अलावा, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है कि मृतक-सूचनादाता बयान देने की मानसिक स्थिति में था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस मुद्दे पर कई निर्णयों का उल्लेख किया है, हालांकि, इस न्यायालय ने पाया है कि मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत विवाद में नहीं हैं और यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि मृत्युकालिक कथन का कोई निर्धारित तरीका या प्रारूप नहीं है, मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक की मृत्युकालिक कथन की रिकॉर्डिंग नहि किया जाना, स्वयं पूरे अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है, हालांकि, मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक होना चाहिए और अनुशासित, सुसंगत और विश्वसनीय नहीं होना चाहिए और सबूत के रूप में इसकी स्वीकार्यता अधिनियम-1872 की धारा 32 के संदर्भ में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसलिए, यदि यह न्यायालय के पूर्ण विश्वास को प्रेरित करता है और न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और स्वैच्छिक है ,मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया जाना चाहिएः.

(i) ***जय करण बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.)*** (एससीसी-1999- (8)-161; में सुचित)

(ii) ***बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य,*** (एससीसी-2006(12)- 283;में सुचित)

(iii) ***पन्नीरसेल्वम बनाम तमिलनाडु राज्य*** (एससीसी-2008(17)-190 में सुचित;)

(iv) ***अतबीर बनाम सरकार (दिल्ली का एन. सी. टी.)*** (एस.सी.सी.2010-(9)-1 में सुचित) और

(v) ***राजेंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य,*** एससीसी ऑनलाइन 2024-941 में सुचित

29. अब वर्तमान मामले पर वापस जाते हुए, हम पाते हैं कि सभी गवाहों ने लगातार कहा है कि मृतक-सुचनादाता समय-समय पर होश में आ रहा था और जब उसे सदर अस्पताल, समस्तीपुर ले जाया गया, तो इलाज के बाद वह पूरी तरह होश में आ गया था और फिर पुलिस वहां पहुंची और अपना बयान दर्ज किया, जिस पर पीडब्लू. 3 राम कुमार सिंह और पीडब्लू. 4 संजय कुमार शर्मा ने प्रतिहस्ताक्षरित किए थे। और वास्तव में पी. डब्ल्यू. 4 ने भी परीक्षण के दौरान उनके हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श-.1 के रूप में चिह्नित किया गया है। जहां तक पी. डब्ल्यू. 3 का संबंध है, उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि उन्होंने *फर्दबयान* पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन हम पाते हैं कि बचाव पक्ष जिरह के दौरान उंनके दिए गए बयान में विरोधाभास का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिरह में केवल कहा है कि जिस समय ग्रामीणों ने मृतक-सुचनादाता को उठाया था और उसे समस्तीपुर सरकारी अस्पताल ले गए थे, वह उस समय उनके साथ नहीं गया था, हालांकि उन्होंने कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया कि वह बाद में अस्पताल गए थे, इसलिए ऐसा नहीं होग की यह बहुत मायने रखता है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक-सुचनादाता का *फ़र्दबयान* साबित नहीं हुआ है। इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि गवाहों से जिरह में *फ़र्दबयान* की असत्यता के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया है और यह कि यह मनगढ़ंत है, इसलिए गवाह के साक्ष्य के अप्रतिरोध्य हिस्से पर भरोसा किया जाना आवश्यक है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि किसी विशेष तथ्य/परिस्थिति की प्रतिपरीक्षा में गवाह के सामने सवाल रखे जाने के अभाव में, ऐसे गवाह के साक्ष्य के अप्रतिरोध्य भाग पर भरोसा किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***ज्ञान चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य*** (ऊपर) और ***लक्ष्मीबाई बनाम भगवंतबुवा*** (ऊपर) के वाद में के एक फैसले का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

30. अधिनियम, 1872 की धारा 32 के खंड (1) का दूसरा भाग इस नियम का एक और अपवाद है कि आपराधिक विधि में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, मूल्यहीन होगा, जिसे अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा के अधीन नहीं किया गया है या अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं दिया गया है, इस साधारण कारण से कि मृत्यु के कगार पर किसी व्यक्ति के गलत बयान देने की संभावना नहीं है, जब तक कि यह दिखाने के लिए मजबूत सबूत न हो कि गलत बयान को सिखाया या पढ़ाया गया था।इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***कंस राज बनाम पंजाब राज्य*** (ऊपर) और ***श्री भगवान*** (उपरोक्त) के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, हमारा विचार है कि चूंकि वर्तमान वाद में विचारण के दौरान किसी भी परस्पर विरोधी परिस्थिति का संकेत या प्रदर्शन नहीं किया गया है, जिस कारण मृतक-सुचनादाता द्वारा दिए गए बयान को हटा कर देखा जाये, जो एक *फर्दबयान* के रूप में दर्ज किया गया है जिसमे मृतक- सुचनादाता के अंगूठे की छाप भी है जिसे चुनौती नहीं दी गई है और पी . डब्ल्यू. 4 संजय कुमार शर्मा और पी. डब्ल्यू. 3 राम कुमार सिंह, द्वारा जो साबित भी किया गया है, जिन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, तो मृतक-सूचनादाता की उक्त घोषणा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जिसे हम न केवल सच और स्वैच्छिक पाते हैं, बल्कि अभिलेख पर पर्याप्त मात्रा में कानूनी साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि होती है।

31. जहाँ तक अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस आशय के साथ है कि स्वतंत्र गवाहों और आवश्यक गवाहों को रोक दिया गया है, जिसने अपीलार्थियों को पूर्वाग्रहित किया है, यह न्यायालय पाता है कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय, और भरोसेमंद पाया जाता है, केवल एक स्वतंत्र गवाह का शामिल न होना, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए संस्करण पर संदेह नहीं कर सकता है जबतक की अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए अभिलेख पर कोई कारण नहीं हो। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***ज्ञान चंद*** (ऊपर) और ***अप्पाभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य,***(एस.सी.सी.-1988-सॅप्प-241-पैराग्राफ-11) के वाद् में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिसको यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः.

> *"**11.** इन सिद्धांतों के आलोक में, अब हम अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह पर पहले किये गये तर्क पर विचार कर सकते हैं।यह विवाद स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ*

करने में अभियोजन पक्ष की विफलता से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क की जांच की है लेकिन जांच में कोई कमजोरी नहीं पाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष बस स्टैंड पर हुई घटना का कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर पाया है। ऐसे कई गवाह रहे होंगे। लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले को केवल उसी आधार पर खारिज या संदेह नहीं किया जा सकता है। अनुभव हमें याद दिलाता है कि सभ्य लोग आम तौर पर असंवेदनशील होते हैं, उनकी उपस्थिति में जब भी कोई अपराध किया जाता है तो वे पीड़ित और चौकीदार दोनों से अलग हो जाते हैं। वे खुद को न्यायालय से दूर रखते हैं जब तक कि यह अपरिहार्य कारण न हो। उनका मानना है कि नागरिक विवाद जैसे अपराध दो व्यक्तियों या पक्षों के बीच होते हैं और उन्हें खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। आम जनता की इस तरह की उदासीनता वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह हर जगह है, चाहे वह ग्रामीण जीवन में हो, कस्बों में हो या शहरों में। इस बाधा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जिसके साथ जांच एजेंसी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए, न्यायालय को स्वतंत्र गवाह की कमी के कारण अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने के बजाय अभियोजन पक्ष के संस्करण के व्यापक विस्तार पर विचार करना चाहिए और फिर अभियुक्त द्वारा सुझाए गए संभाव्यता, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए सच्चाई की खोज करनी चाहिए। हालाँकि,न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक गंभीर अपराध के गवाह सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं और न ही वे समान रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। एक कायरतापूर्ण अपराध या घोर प्रकृति के कार्य में भयभीत गवाह अलग-अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं।सामान्य परिस्थितियों में उनका आचरण सामान्य प्रकार का नहीं हो सकता है। इसलिए,न्यायालय उनके साक्ष्य को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने असामान्य तरीके से व्यवहार किया है या प्रतिक्रिया दी है। राणा प्रताप बनाम हरियाणा राज्य [एस. सी. सी.-1983(3) 327] में इस न्यायालय की ओर से बोल रहे चिन्नाप्पा रेड्डी, जे., ने कहा हैं कि संक्षेप में यह निर्धारित करें कि एक ही घटना के गवाह विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार क्या हो सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी कीः

> *" हत्या का गवाह बनने वाला हर व्यक्ति अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग स्तब्ध हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं और मौके पर ही खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग उन्मादी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। अन्य लोग मौके से जितना संभव हो सके खुद को दूर रखने के लिए भाग जाते हैं। फिर भी अन्य लोग पीड़ित को बचाने के लिए दौड़ते हैं, यहां तक कि हमलावरों पर जवाबी हमला करने की हद तक जाते हैं। हर कोई अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है।प्राकृतिक प्रतिक्रिया का कोई निर्धारित नियम नहीं है। किसी गवाह के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज करना कि*

उसने किसी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी, पूरी तरह से अवास्तविक और अकल्पनीय तरीके से साक्ष्य की सराहना करना है।"

वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य इस तथ्य के अलावा ठोस, विश्वसनीय, और भरोसेमंद हैं कि पी. डब्ल्यू. 3 राम कुमार सिंह एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह हैं, इस प्रकार अन्य स्वतंत्र गवाहों की जांच में मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त कथन किसी भी विचार के योग्य नहीं है।

32. अब अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गए अंतिम कथन से इस प्रभाव पर आते हैं कि वर्तमान मामला भा. द. सं. की धारा 305 के दायरे में नहीं आएगा, यद्यपि सभी अभियुक्त व्यक्ति आग्नेयास्त्र, खंती और लाठी से लैस थे, हालाँकि, मृतक के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं मिली है और सभी चोटें (घाव, घाव और घर्षण) सिवाय एक के मृतक के शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था, सिवाय इस तथ्य के कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने जिस तरह से मृतक-सुचनादाता पर हमला किया था, उसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती थी। जहां तक मामले के इस पहलू का संबंध है, हमने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य पर विचार किया है जिससे हम पाते हैं कि एक को छोड़कर सभी चोटें मृतक के शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर हैं और इसके अलावा, न तो खंती/लाठी से गंभीर/भेदी चोट लगी है और न ही नंद किशोर राय (अपीलकर्ता संख्या 1) द्वारा गोली चलाई गई है, हालांकि वह पिस्तौल से लैस था, इस प्रकार हमारा विचार है कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ताओं का इरादा मृत्यु का कारण बनना था या ऐसी चोट पहुंचाना था जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी यह तथ्य बना हुआ है कि अपीलकर्ताओं और दो अन्य लोगों ने मृतक पर बुरी तरह से हमला किया था और वास्तव में पी. डब्ल्यू. 6 डॉ. पुरुषोत्तम कुमार ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतक के शरीर पर पाए गए घाव उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे।इसलिए, हालांकि हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं और दो अन्य ने जानबुझकर यह काम किया था। कि इससे मृत्यु होने की संभावना है लेकिन उनका मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। अभिलेखों से हमें यह भी पता चलता है कि यद्यपि मृतक-सूचनादाता गंभीर था, अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा

बुरी तरह से हमला किया गया था और उसे इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा सदर अस्पताल, समस्तीपुर से पीएमसीएच, पटना भेजा गया था, लेकिन मृतक-सूचनादाता के परिवार के सदस्यों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच, पटना ले जाने के बजाय,घटना में देरी की, जिसके बाद वे अंततः मृतक-सूचनादाता को समस्तीपुर में ही डॉ. आर. आर. झा के क्लिनिक में ले गए, जहां स्पष्ट रूप से उचित इलाज नहीं किया गया था, जिससे मृतक-सूचनादाता की 09.02.2005 की रात में मौत हो गई। यह एक अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि मृत्यु का परिणाम हिंसा के कार्य के निकटवर्ती परिणाम के रूप में होना चाहिए न कि दूरस्थ परिणाम के रूप में।इस प्रकार इस परिस्थिति ने हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भी मजबूर किया है कि वर्तमान मामला भा. द. सं. की धारा 304 के भाग II के तहत आएगा। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि अपीलार्थी भा. द. सं. की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, इस प्रकार भा. द. सं. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दिए गए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 50,000/- के जुर्माने को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके बजाय अपीलार्थी को धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया जाता है, और दस साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया जाना चाहिएः.

(i) ***कैमिलो वाज बनाम गोवा*** राज्य, एस.सी सी.-2000(9) 1;में सुचित

(ii) ***रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य***, एससीसी-2012(8)- 289;में सुचित

(iii) ***अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य,*** एस. सी. सी.-2013(6)- 770 में सूचित;

(iv) ***चेंडा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य***, एससीसी(2013-(12)- 110; में सूचित;

(v) ***सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य***, एससीसी2017(5)- 796; में सूचित;

(vi) ***अनबाझगन बनाम राज्य***, एस. सी. सी-2023.ऑनलाइन –एस.सी.-857- में सूचित; और

(vii) ***वेल्थेपु श्रीनिवास बनाम तेलंगाना राज्य***, रिपोर्ट किया गया एस.सी.सी. ऑनलाइन-2024 एस. सी.-107 में सूचित;

33. भा. द. सं. की धारा 379 के तहत दोषसिद्धि के संबंध में, हम पाते है कि उस अपीलार्थी संख्या 2 और 3 पर साइकिल या भूमि से संबंधित दस्तावेज हड़पने या मृतक-सुचनादाता से 1500 रुपये की राशि छीनने का आरोप नहीं लगाया गया है, हालांकि, अपीलार्थी नं. 1 पर मृतक-सुचनादाता से 1500 रुपये की राशि छीनने का आरोप लगाया गया लेकिन वही पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं हुई, फिर भी पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि अपीलार्थी नं.1 ने उसके पिता से 1500 रुपये की राशि छीन ली थी हालाँकि बचाव पक्ष पी. डब्ल्यू. 5 से जिरह करते हुए विरोधाभास को उजागर करने में सक्षम रहा है, जिन्होंने कहा है कि पी. डब्ल्यू. 2 ने उनके सामने यह नहीं कहा था कि अपीलार्थी ने मृतक से 1500 रुपये की राशि छीन ली थी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारा विचार है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए भा. द. सं. की धारा 379 के तहत अपराध करना अपीलार्थियों के खिलाफ साबित नहीं होता है, इसलिए विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ दिनांक 06.06.2016. के निर्णय को रद्द किया जाता है।

34. अपीलार्थी नं. 2, अर्थात् सुबोध राय और अपीलार्थी नं. 3, अर्थात् रंजीत राय को वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान क्रमशः 23.02.2023 और 22.03.2023 के आदेशों द्वारा जमानत दी गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी अब भा. द. सं. की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराए गए हैं और तत्काल निर्णय द्वारा 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, उपरोक्त दो अपीलार्थियों के जमानत बांड एतद्द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं और उन्हें शेष सजा काटने के लिए जेल भेजे जाने के लिए विद्वत निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। जहाँ तक अपीलार्थी सं- 1, नंद किशोर राय का प्रश्न है, वह पहले से ही हिरासत में है, इसलिए उसे शेष सजा काटने का निर्देश दिया जाता है।

35. तदनुसार, वर्तमान अपील, अर्थात आपरधिक अपील (खं.पी.) संख्या-673/2016 की आंशिक रूप से ऊपर बताए गयी सीमा तक अनुमति है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्त्ति)

शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्त्ति-मैं सहमत हूँ।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

कंचन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।